

ई मेल

पंचायत आम निर्वाचन- 2021
अति महत्वपूर्ण



राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

संख्या-प.नि.-30-192/2021-2393

प्रेषक,

योगेन्द्र राम,
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)-
सह-जिला पदाधिकारी, बिहार राज्य।

पटना, दिनांक- 25.6.21

विषय :- EVM के संबंध में सम्पूर्ण तैयारी करने के संबंध में।

प्रसंग:- इस कार्यालय का पत्रांक-2121 दिनांक-17.04.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य में पंचायत आम निर्वाचन- 2021 के सफल संचालन में EVM प्रबंधन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। विदित हो कि पंचायत आम निर्वाचन-2021 को भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त M2 EVM से कराया जाना है जिसके संबंध में इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्रांक-2121 दिनांक-17.04.2021 द्वारा आप सभी को पूर्व में अवगत कराया जा चुका है तथा EVM की प्राप्ति (परिवहन, भण्डारण, सुरक्षा, वितरण आदि की पूर्व तैयारी) हेतु टीम के गठन का अनुरोध किया गया था, परन्तु इस संबंध में आपके स्तर से की गई कार्रवाई की सूचना अप्राप्त है।

उल्लेखनीय है कि अब अधिकांश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तथा राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त होने वाले M2 EVM की संख्या स्पष्ट हो चुकी है तथा इन EVM की प्राप्ति हेतु राज्य के जिलों को Tagging सिद्धांत कर दी गई है।

अतएव विषयांकित संबंध में आपके स्तर से निम्नलिखित कार्रवाई अपेक्षित है:-

- EVM कोषांग का गठन $\implies$ Nodal पदाधिकारी-सह-प्रभारी पदाधिकारी EVM कोषांग की नियुक्ति।
- EVM परिवहन हेतु भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उचित प्रकार के कन्टेनर, गाड़ी, सुरक्षा आदि की व्यवस्था करना।
- प्राप्त होने वाले EVM की संख्या के आधार पर उनके सुरक्षित भण्डारण हेतु भण्डार गृह/वेयर हाउस की व्यवस्था करना।
- प्राप्त होने वाले EVM के वितरण, पुनर्वितरण या हस्तांतरण को त्वरित गति एवं सटीकता के साथ सुनिश्चित करने हेतु तंत्र का विकास करना।

इस संबंध में आयोग के स्तर से एक सम्पूर्ण मार्गदर्शिका M2 EVM Management Plan तैयार की गई है, जो पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है। संलग्न मार्गदर्शिका (M2 EVM Management Plan) का सम्पूर्ण अध्ययन दिनांक-26.06.2021 को आयोग के साथ प्रस्तावित v.c के पूर्व कर लिया जाए, ताकि इसके अनुपालन में आने वाली कठिनाईयों एवं इसके समाधान पर v.c. के दौरान सार्थक संवाद हो सके।

इस क्रम में शीघ्रताशीघ्र EVM कोषांग का गठन करते हुए इसके Nodal पदाधिकारी-सह-प्रभारी पदाधिकारी EVM कोषांग का नाम, पदनाम, ई-मेल आदि तथा कोषांग के अधीन कार्य करने वाले उप कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी की सम्पूर्ण विवरणी तीन दिनों के अन्दर आयोग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन


25/06/21
सचिव।

पंचायत आम निर्वाचन-2021

M2 EVM Management Plan

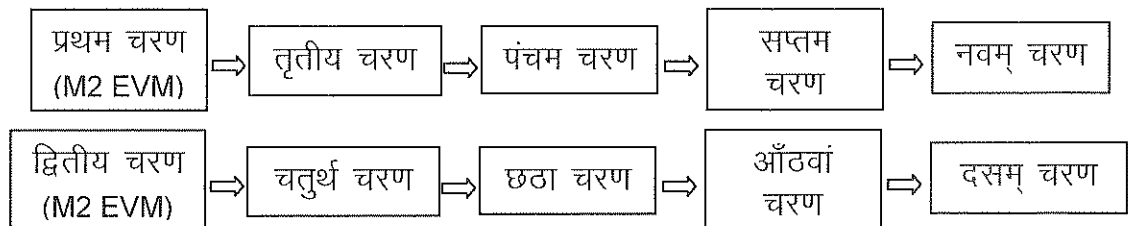
पंचायत आम निर्वाचन, 2021 में चुनाव M2 EVM से कराये जाने हैं। पंचायत आम निर्वाचन में एक साथ छः पदों यथा पंचायत वार्ड सदस्य, पंच, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद् सदस्य का निर्वाचन होना है। M2 EVM सिंगल पोस्ट (एकल पद) EVM है, यानी एक M2 EVM से एक पद का चुनाव होगा। छः पदों के लिए अलग-अलग M2 EVM का उपयोग होगा। मतदान के दिन मतदान केन्द्र पर एक साथ छः सेट EVM (6 CU और 6 BU) लगेंगे। इस कारण लोक सभा/विधान सभा के चुनावों में EVM Management से अधिक बारिकियों को ध्यान में रखकर EVM Micro Management कर ही सफल चुनाव करा सकते हैं।

उद्देश्य — पंचायत आम निर्वाचन 2021 के लिए निर्वाचन प्रक्रिया माह अगस्त 2021 से प्रारम्भ होकर माह नवम्बर 2021 तक M2 EVM से सफलतापूर्वक सम्पन्न कराना।

उक्त कार्य हेतु M2 EVM Management में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिन्दु हैं —

1. चुनाव के सामान्य सिद्धान्त —

- (क) जिला अंतर्गत चुनाव अधिकतम दस चरणों में सम्पन्न किए जायेंगे।
- (ख) प्रत्येक चरण में मतदान के दूसरे दिन मतगणना होगी और मतगणना के पश्चात् M2 EVM का उपयोग अगले चरण के मतदान में होगा।
- (ग) जिला स्तर पर M2 EVM दो सेट, कार्मिक दो सेट में और सुरक्षा कर्मी का एक सेट में तैयार होगा।
- (घ) M2 EVM का Movement सामान्यतः निम्नवत् होगा।



- (ङ) कार्मिकों का भी Movement सामान्यतः M2 EVM Movement जैसा होगा।
 - (च) सुरक्षा बलों का movement एक चरण से अगले चरण में होगा।
 - (छ) M2 EVM मतगणना के बाद दूसरे प्रखण्ड में स्थानांतरण और उस प्रखण्ड में Cand. Set करने में समय लगेगा। इसलिए प्रथम चरण का M2 EVM तृतीय चरण में और द्वितीय चरण का चतुर्थ चरण में स्थानांतरित किया जाना होगा।
- ऐसे दो चरणों के बीच 15 दिनों का अंतराल रखा गया है, जिसमें तीन दिन मतगणना, एक दिन परिवहन में और सात दिन Cand Set के लिए रखा गया है।

2. चुनाव के लिए चरण का निर्धारण –

मतदान के लिए चरण का निर्धारण M2 EVM, कार्मिकों और सुरक्षा बलों की आवश्यकता एवं उपलब्धता के आधार पर ही निर्धारित किया जाना है।

- ✓ जिलावार M2 EVM कार्मिकों और सुरक्षा बलों की आवश्यकता/उपलब्धता का आंकलन कर प्रत्येक जिला में अधिकतम दस चरण में चुनाव कराये जायेंगे।
- ✓ जिलों से नौ चरण में चुनाव कराये जाने के लिए प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे। इस प्रतिवेदन में चरणवार मतदान के लिए प्रखण्डों को चिन्हित किया गया है। चूँकि अब दस चरणों में चुनाव सम्पन्न कराये जाने है तो जिला से प्राप्त प्रतिवेदन में आंशिक संशोधन करते हुए दस चरण का कार्यक्रम बनाकर M2 EVM, कार्मिक और बलों का आंकलन किया गया है।
- ✓ उक्त कार्य हेतु आयोग स्तर पर बनाए गए दस चरण के लिए प्रखण्डों की सहबद्धता सांकेतिक रूप में तैयार की गयी है, जिसकी प्रति अनुलग्नक -1 के रूप में संलग्न है।
- ✓ राज्य निर्वाचन आयोग स्तर से दस चरणों के लिए संहबद्ध प्रखण्डों/मतदान क्षेत्रों की अपने स्तर से जाँच कर ली जाए एवं चुनाव के सफल व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दस चरणों के लिए प्रतिवेदन राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराया जाए।
- ✓ प्रखण्डों को चरणबद्ध करते समय निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाना है—
 - प्रखण्ड की भौगोलिक स्थिति ताकि मतदान पश्चात EVM का स्थानान्तरण में कम से कम दूरी तय करनी पड़े।
 - जिला स्तर पर कुल मतदान केन्द्रों की संख्या और दस चरण में मतदान के लिए औसत मतदान केन्द्रों की संख्या निकाल कर उसी के आस पास (निकटतम) मतदान केन्द्रों की संख्या वाले प्रखण्डों को सम्बद्ध किया जा सकता है, जिससे लगभग सभी चरणों में एक जैसी व्यवस्था होगी।
 - M2 EVM का स्थानान्तरण प्रथम चरण से तृतीय चरण, तृतीय चरण से पंचम, पंचम चरण से सप्तम् और सप्तम् चरण से नवम् चरण होगा। इसलिए इन चरणों में ऐसे प्रखण्ड को संबंध किए जाए जिसमें मतदान केन्द्रों की संख्या लगभग समतुल्य हो। उसी प्रकार दूसरे, चौथे, छठे, आठवें, और दशम् चरण को संबद्ध करना होगा।
 - वर्तमान में वर्षा/बाढ़ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मतदान के लिए प्रखण्डों को सम्बद्ध किया जाए। वर्षा/बाढ़ ग्रस्त प्रखण्डों में चुनाव यथासम्भव चौथे चरण के बाद रखा जाना चाहिए।

3. M2 EVM की उपलब्धता –

- ✓ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा EVM के भण्डारण, transport, FLC के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। चूँकि M2 EVM ECI द्वारा प्रदत्त है, अतः ECI के guidelines का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। लोक सभा/विधान सभा निर्वाचन के

अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग के इस संबंध में दिए गए निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन जिला द्वारा किया जाता है।

- ✓ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को M2 EVM का ऋण पर आवंटन इस शर्त के साथ किया गया है कि M2 EVM का भंडारण, Transport एवं अन्य व्यवस्था भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाए गए प्रोटोकॉल/SOP के अधीन हो। अतएव सभी प्रोटोकॉल / SOP का अक्षरशः अनुपालन किया जाए।
- ✓ इस संबंध में M2 EVM के आवंटन के लिए निर्गत पत्र के साथ निर्देश भी संलग्न किए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग का पत्रांक 51/8/4/Loaning/2021/EVM (P&T) दिनांक 16.04.2021 में EVM भंडारण, Transport एवं अन्य व्यवस्था का निर्देश है जो संलग्न है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित संख्या में M2 EVM आवंटित किए गए हैं –

	CU	BU
Total	445997	488196

- ✓ उक्त M2 EVM भारत के राज्यों के राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों (CEO) के नियंत्रण में उस राज्य के जिलों में जिला निर्वाचन पदाधिकारियों की अभिरक्षा में है।
- ✓ इसके अतिरिक्त EVM निर्माता कम्पनी BEL बंगलोर और ECIL, हैदराबाद से भी M2 EVM आवंटित किए गए हैं जो क्रमशः बंगलोर और हैदराबाद में हैं।
- ✓ भारत निर्वाचन आयोग के उक्त आवंटन के विरुद्ध वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और EVM निर्माता कम्पनी से उपलब्धता के संबंध में प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार M2 EVM की उपलब्धता निम्नलिखित होगी।

	CU	BU
ECIL	106887	135088
BEL	109355	76285
Total	216242	211373

- ✓ इसके अतिरिक्त कई राज्यों से कुछ तकनीकी कारणों से या अन्य कारणों से M2 EVM की उपलब्धता संसूचित नहीं की गई है। उन कारणों को दूर करने की कार्रवाई चल रही हैं फलस्वरूप वर्तमान M2 EVM की उपलब्धता में बढ़ोतरी होने की संभावना है।

वर्तमान में M2 EVM की उपलब्धता CU 216242 BU 211373 के आधार पर दस चरणों में निर्वाचन करना संभव है।

4. जिलावार M2 EVM की आवश्यकता का आंकलन—

- ✓ पंचायत आम निर्वाचन 2021 का निर्वाचन कार्यक्रम दस चरणों में सम्पन्न कराया जाना है। जिला को इतनी संख्या में M2 EVM का आवंटन किया जाए कि जिला को आवंटित

M2 EVM का movement जिला के अंतर्गत ही हो और दस चरणों का चुनाव सम्पन्न हो सकें।

- ✓ इसके लिए जिला के दस चरणों में से दो अधिकतम मतदान केन्द्रों की संख्या को जोड़कर उसके आधार पर M2 EVM का आंकलन किया गया है, ताकि किसी भी चरण में M2 EVM की कमी न हो।
- ✓ जिलावार M2 EVM के आंकलन में CU 14% और BU 5% रिजर्व रखा गया है। इसके अतिरिक्त 16 से अधिक अभ्यर्थी होने की दशा के लिए मुखिया पद का 50% EVM के साथ प्रशिक्षण के लिए 5% EVM की गणना की गयी है।
- ✓ उक्त सिद्धान्त पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिलावार M2 EVM की आवश्यकता के आंकलन संबंधित प्रतिवेदन अनुलग्नक – 2 संलग्न है।
- ✓ उक्त M2 EVM के आवश्यकता के आंकलन की जिला स्तर से जाँच कर ली जाए यदि कोई संशोधन की आवश्यकता हो या कोई त्रुटि परिलक्षित हो तो इसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को दी जाए।

5. M2 EVM के लिए कोषांग का गठन—

- (क) राज्य निर्वाचन आयोग स्तर पर कोषांग – राज्य निर्वाचन आयोग स्तर पर M2 EVM के कार्यों के समन्वयन एवं नियंत्रण हेतु कोषांग का गठन किया गया है, जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी/सहायक सम्मिलित है –

क्रमांक	पदाधिकारी/सहायक का नाम	मोबाईल संख्या

- (ख) जिला स्तर पर कोषांग— M2 EVM के कार्यों के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर वरीय पदाधिकारी के अधीन EVM कोषांग का गठन किया जाना है। इस कोषांग में अन्य पदाधिकारी/सहायक को भी नामित किया जाए।

लोक सभा/ विधान सभा आम चुनाव में EVM कोषांग में कार्य किए पदाधिकारियों/सहायकों को प्राथमिकता के आधार पर रखा जाए।

कोषांग के वरीय पदाधिकारी और नोडल पदाधिकारी का नाम, पदनाम और मोबाइल संख्या राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जाए।

6. जिला स्तर पर M2 EVM का भंडारण –

- ✓ भारत निर्वाचन आयोग का पत्रांक 51/8/4/Loaning/2021/EVM (P&T) दिनांक 16.04.2021 द्वारा आवंटित EVM के साथ Terms and Condition for loaning के संबंध में निर्देश अंकित किया है।
- ✓ उक्त पत्र के साथ भारत निर्वाचन आयोग का पत्रांक 51/8/7//2017/EMS दिनांक 30.08.2017, पत्रांक 51/8/VVPAT/2015 EMS दिनांक 03.05.2010 EVM के भंडारण (Storage)

और सुरक्षा प्रबंध (safety arrangement) से संबंधित है। भारत निर्वाचन आयोग के उक्त पत्रों में दिए गए निर्देशों के आलोक में ही जिला स्तर पर M2 EVM के भंडारण एवं सुरक्षा व्यवस्था की जानी है।

- ✓ भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक 51/8/4//2010/EMS दिनांक 17 सितम्बर 2010 में स्पष्ट निर्देश है कि "SEC-EVMs and ECI-EVMs shall not be mixed together at any level." उक्त निर्देश के आलोक में जिला स्तर पर SEC-EVM के भंडारण की व्यवस्था अलग करनी है, किन्तु भंडारण के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाना है।
- ✓ भारत निर्वाचन आयोग के उक्त पत्रों में दिए गए निर्देश अति महत्वपूर्ण है लेकिन आयोग से सभी निर्देशों का अनुपालन किया जाना है।
- ✓ जिला स्तर पर M2 EVM की उपलब्धता की संख्या के आधार पर EVM भंडारण हेतु Separate पक्का भवन (जिसे warehouse कहा जा सकता है) का चयन किया जाना है।
- ✓ उक्त warehouse में ही M2 EVM का भंडारण किया जाएगा। कोई भी EVM warehouse के बाहर नहीं रहेगा।
- ✓ Warehouse में केवल एक ही Entry Point (दरवाजा) होगा। यदि चयनित भवन (warehouse) में एक से अधिक Entry Point (दरवाजा) है तो उसे ईट-कंक्रीट से सील कराना है।
- ✓ Warehouse में यदि खिड़कियाँ (Windows) है तो उसे भी ईट-कंक्रीट से सील कराना है।
- ✓ Warehouse के एकल दरवाजे पर double lock system रहेगा जिसकी चाभी दो अलग-अलग पदाधिकारियों के पास रहेगी जिसे जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) नामित करें। इसमें से एक पदाधिकारी उपसमाहर्ता स्तर से अन्यून नहीं होना है।
- ✓ Warehouse मुख्य रूप से dampness, pests, rodents etc से मुक्त होना है।
- ✓ Warehouse में proper fire fighting arrangement होना है।
- ✓ Warehouse बाढ़/जल जमाव मुक्त क्षेत्र में होना है।
- ✓ Safety alarm system/CCTV निश्चित रूप से लगाना है।
- ✓ EVM को सुरक्षित रूप में रखना है।
- ✓ पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मी 24 x 7 लगाए जाने है।
- ✓ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा Security निम्नवत् निर्धारित की गयी है –
 - Non poll (Post EP to FLC) - Minimum 1/2 Section
 - FLC to polling-Minimum 1 Section
 - Poll to EP- Minimum 1 Platoon

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में जिला में M2 EVM की संख्यात्मकता के आधार पर उसके भण्डारण हेतु चयनित भवन का नाम राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जाए।

7. जिला को अन्य राज्यों के जिला से M2 EVM लाने के लिए संबद्ध करना—

- ✓ वर्तमान में अन्य राज्यों के राज्य निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के नियंत्रण में तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारियों की अभिरक्षा में M2 EVM भण्डारण है।
- ✓ इसके अतिरिक्त दोनों निर्माता कम्पनी BEL और ECIL क्रमशः बंगलोर और हैदराबाद में M2 EVM भंडारित है।
- ✓ राज्यों के जिला जहाँ से CU और BU लाना है उन जिलों में समान संख्या में CU और BU उपलब्ध नहीं है और एक ही जिला में दोनों कम्पनी के CU और BU भी उपलब्ध है।
- ✓ जिला को संबद्ध करने में यह ध्यान रखा गया है कि उस जिला को पूर्ण रूप से एक निर्माता कम्पनी BEL या ECIL का ही CU और BU चुनाव के लिए उपलब्ध कराया जाए।
- ✓ बिहार राज्य के जिलों को सम्पूर्ण रूप से ECIL या BEL के EVM से अच्छादित करने के बाद कुछ जिलों को ECIL और BEL के CU और BU को mix कर आवंटित करने पर उनके M2 EVM की आवश्यकता की पूर्ति की गयी है।
- ✓ जिलों को संबद्ध करते समय यह भी ध्यान रखा गया है कि बिहार राज्य का Acceptor District अन्य राज्य के Donor District से पूर्ण M2 EVM प्राप्त कर लें भले ही उनको उससे कम या अधिक M2 EVM की आवश्यकता है।
- ✓ इस व्यवस्था के कारण अन्य राज्यों से EVM प्राप्त होने के बाद आवश्यकता अनुसार बिहार राज्य के अंतर्गत M2 EVM का inter district स्थानांतरण किया जाना है।
- ✓ राज्य निर्वाचन आयोग स्तर से जिलो (Acceptor District) और अन्य राज्य के जिलो (Donor District) की संबद्धता सूची अनुलग्नक -3 के रूप में सलग्न है।

उक्त सूची का जिलास्तर पर अध्ययन कर ली जाए यदि कोई त्रुटि परिलक्षित होती है तो राज्य निर्वाचन आयोग को सूचित किया जाए।

8. राज्यों के जिलों (Donor District) के नोडल आफिसर का नाम, मोबाइल संख्या प्राप्त करना—

- ✓ अधिकांश Donor District से Nodal पदाधिकारी के नाम और मोबाइल संख्या प्राप्त हो गए हैं।
- ✓ राज्य निर्वाचन आयोग, दिल्ली, त्रिपुरा, केरल, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, गोवा, केरल, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, पुण्डुचेरी, राजस्थान को नोडल ऑफिसर के नाम एवं मोबाइल संख्या भेजने हेतु पत्र भेजा गया है। इसकी अद्यतन स्थिति के अनुसार कार्य करना है।

9. M2 EVM लाने हेतु की जाने वाली व्यवस्था—

भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक 51/8/7/2017-EMS दिनांक 30 अगस्त 2017 द्वारा EVM Transportation के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। इस निर्देश का M2 EVM Transportation में अनुपालन किया जाना अनिवार्य है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए अति महत्वपूर्ण निर्देश निम्नवत् है किन्तु आयोग के इस संबंध में दिए गए निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करना है—

- ✓ Containerized trucks or sealed trucks on which proper locking arrangements can be made shall only be used for transporting EVMs. these could be locked and sealed with proper seal.
- ✓ All trucks transporting EVM shall be sealed with Lock and proper seal.
- ✓ Vehicles with GPS tracking only should be used for movement of EVM.
- ✓ A Nodal officer at District level shall be appointed for constant coordination for smooth transportation of EVMs.

लोक सभा/विधान सभा के अवसर पर EVM लाने हेतु जिला स्तर पर टीम गठित की गयी होगी उसी के अनुरूप इस कार्य हेतु EVM की संख्या के आधार पर टीम गठित की जाए।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा EVMs Transport के लिए जो SOP निर्धारित किए गए हैं उसी के अनुरूप व्यवस्था करनी है। यह कार्य 15 जुलाई 2021 तक करना है।

10. EVM लाने की Monitoring की व्यवस्था — Mobile App based Monitoring

11. EVM के FLC की व्यवस्था—

(क) FLC के लिए स्थान का चयन

- ✓ बिहार राज्य में EVM लाने के बाद उसे यथा स्थान भंडारित किया जाना है।
- ✓ उक्त EVM का First Level Checking (FLC) किया जाना है।
- ✓ EVM के FLC के लिए स्थान का चयन कर राज्य निर्वाचन आयोग को सूचित करना है।
- ✓ भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक—51/8/16/4/2010-EMS दिनांक 04.08.2010 द्वारा EVM के FLC के संबंध में दिए गए निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाना है।
- ✓ उक्त पत्र की कण्डिका 3,4 एवं 5 EVM FLC के लिए महत्वपूर्ण है। पंचायत आम निर्वाचन दलीय आधार पर नहीं है, इसलिए इसमें किसी दल को सूचित नहीं करना है।

(ख) BEL और ECIL के इंजीनियर की आवश्यकता—

- ✓ राज्य निर्वाचन आयोग स्तर पर M2 EVM के FLC कार्य दिनांक 11.07.2021 से 31.07.2021 तक पूर्ण करने हेतु BEL और ECIL के इंजीनियर की संख्या का आंकलन कर BEL और ECIL को पत्र भेजना और वार्ता करना है।
- ✓ BEL और ECIL के इंजीनियरों के नाम, मोबाइल संख्या प्राप्त होने पर इसे जिलों से संबद्ध कर जिलों को सूचित करना है।

- ✓ जिला स्तर पर कोविड-19 के कारण इंजीनियरों के आवासन इत्यादि की व्यवस्था इस प्रकार से कराना है कि EVM FLC का कार्य ससमय पूर्ण हो सकें।

(ग) Power Pack की आवश्यकता—

- ✓ EVM FLC के लिए BEL और ECIL को Power pack के लिए आवश्यकता अनुसार क्रय करने हेतु ECIL और BEL को आदेश देना एवं Power Pack प्राप्त करना।

Power Pack की प्राप्ति निश्चित रूप से 05.07.2021 तक हो जानी है ताकि जिलों को Power Pack वितरित किया जा सके।

वितरण चार्ट के अनुसार जिला राज्य निर्वाचन आयोग, पटना से Power pack (बैट्री) दिनांक 10.07.2021 के पूर्व प्राप्त करेंगे, ताकि 16.07.2021 से FLC का कार्य प्रारम्भ हो सकें।

12. EVM FLC के कार्यों का Monitoring — Mobile App based Monitoring

13. मतपत्र की व्यवस्था— चूँकि चुनाव M2 EVM से सम्पन्न कराये जाने हैं, इसलिए मतपत्रों का मुद्रण जिला स्तर पर ही होगा।

इसके लिए पहले से ही प्रेस का चयन किया जाना है, जहाँ मतपत्र सुरक्षित और शुद्ध रूप से मुद्रित हो सकें।

प्रतीकों के soft copy और ECIL और BEL के Ballot Unit के specification के अनुसार मतपत्र मुद्रित होंगे।

ECIL और BEL के Ballot Paper का specification भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत निर्वाची पुस्तिका में वर्णित है।

14. जिला से प्रथम और द्वितीय चरण के प्रखण्ड स्तर पर M2 EVM स्थानांतरण—

जिला स्तर पर EVM के FLC के बाद भंडारित EVM को संबंधित प्रखण्ड में EVM का स्थानांतरण भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के आलोक में किया जाना है।

15. पहले और दूसरे चरण के लिए EVM में Cand. set कराना—

- ✓ प्रत्येक चरण में अभ्यर्थिता वापसी के लिए निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्रपत्र-9 तैयार किया जाना है, जिसके आधार पर मतपत्र मुद्रित होंगे।
- ✓ जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) के नियंत्रण में संबंधित प्रखण्ड के निर्वाची पदाधिकारी द्वारा EVM में Cand set. किया जाना है। उक्त कार्य प्रखण्ड स्तर पर सम्पन्न होगा।
- ✓ प्रखण्ड स्तर पर EVMs को सुरक्षित भण्डारण की व्यवस्था करनी होगी।

- ✓ प्रखण्ड स्तर पर ही उस निर्माता कम्पनी के इंजीनियर के साथ अन्य इंजीनियर, कर्मी, लेबर की व्यवस्था करनी होगी ताकि ससमय Cand. Set की प्रक्रिया पूरी हो सकें।
- ✓ विधान सभा/ लोक सभा में एक ही प्रकार का मतपत्र पूरे निर्वाचन क्षेत्र के EVM में लगाकर Cand Set किया जाता है। भले ही निर्वाचन क्षेत्र बड़ा होता है किन्तु EVM एक ही प्रकार के तैयार किए जाते हैं। इसमें mix होने का डर नहीं रहता है। पंचायत आम निर्वाचन में स्थिति भिन्न है।
- ✓ पंचायत आम निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या अधिक है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अलग-अलग EVM Cand Set करना है। इसमें EVM Cand Set Mixed होने की संभावना बनी रहेगी।
- ✓ इसको दुर करने के लिए संबंधित EVM के CU और BU को stricker पर पदनाम चिपका कर एक दुसरे से भिन्न करना होगा। CU और BU के बक्सा पर भी पदनाम का Sticker चिपकाना है।
- ✓ जिला स्तर पर विधान सभा निर्वाचन से भिन्न Cand. Set कार्यक्रम का भी micro monitoring करना होगा।
- ✓ जिला स्तर पर विधान सभा निर्वाचन से भिन्न Cand. Set में अधिक प्रशिक्षित कर्मी लगाने होंगे। ताकि अधिकतम एक सप्ताह में यह कार्य समाप्त किया जा सकें।

16. मतदान दल में कार्मिकों की संख्या में बढ़ोतरी—

सामान्यतः एक EVM से मतदान केन्द्र पर मतदान प्रक्रिया संचालन में एक पीठासीन पदाधिकारी और तीन मदतान पदाधिकारियों का दल गठित कर नियुक्त किया जाता है।

चूँकि एक मतदान केन्द्र पर 6 CU और 6 BU को संचालित करना है इसलिए अतिरिक्त दो अन्य पदाधिकारी जो मतदान पदाधिकारी द्वितीय या तृतीय स्तर के हो उपलब्धता के आधार पर लगाने होंगे। मतदान पदाधिकारी 3 के पास दो पद के CU का नियंत्रण, मतदान पदाधिकारी चार के पास दो पद के CU का नियंत्रण और मतदान पदाधिकारी पाँच के पास दो अन्य पद के CU का नियंत्रण रहेगा।

इस प्रकार कार्मिकों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी।

17. PCCP की संख्या में बढ़ोतरी —

एक मतदान केन्द्र पर 6 EVM का उपयोग होना है इसलिए अधिकतम दो मतदान केन्द्र पर एक PCCP की प्रतिनियुक्ति करनी होगी। PCCP को 12 EVM (12 CU और 12 BU) प्रखण्ड से मतदान केन्द्र पर ले जाने और मतदान की समाप्ति के बाद मतगणना केन्द्र तक लाने हेतु अच्छी और spacious वाहन की व्यवस्था करनी होगी।

18. मतदान के दिन EVM खराब होने पर replacement की व्यवस्था—

विधान सभा में निर्वाचन क्षेत्र बड़ा होता है और एक ही प्रकार के EVM का उपयोग होता है इसलिए Cand. Set किया हुआ EVM रिजर्व के रूप में रहता है और EVM खराब होने की सूचना मिलने पर Sector मजिस्ट्रेट उपलब्ध सेट EVM का replacement करता है।

पंचायत आम निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र की संख्या अधिक है एवं सभी वार्ड एक अद्वितीय निर्वाचन क्षेत्र हैं। और सभी के मतपत्र अलग-अलग होंगे। इनका EVM पहले से Cand. Set कर नहीं रखा जा सकता है।

प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए एक Sector मजिस्ट्रेट होगा जिसके पास रिजर्व EVM रहेगा साथ ही उस पंचायत के सभी पदों के लिए मुद्रित मतपत्र की प्रतियाँ भी उपलब्ध रहेगी।

Sector मजिस्ट्रेट के साथ एक BEL/ECIL के इंजीनियर के अतिरिक्त एक कर्मी जो Cand. Set करने में निपुण हो उसको रखना होगा।

EVM के खराब होने की सूचना मिलने पर Sector मजिस्ट्रेट EVM और मतपत्र के साथ मतदान केन्द्र पर पहुँचेंगे। मतदान केन्द्र पर ही अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ता के समक्ष CU में Cand Set या BU को बदलेंगे।

उक्त कार्य के लिए अधिक संख्या में Cand. Set करने के लिए प्रशिक्षित कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति करनी होगी।

19. मतदान प्रक्रिया—

मतदान केन्द्र पर 6 EVM से मतदान प्रक्रिया के संबंध में अलग से निर्देश दिए जाएंगे।

20. मतगणना स्थल एवं ब्रजगृह का चयन—

- ✓ सामान्यतः प्रखण्ड/अनुमतडल स्तर पर मतगणना कराये जाते हैं।
- ✓ इसके लिए specious स्थल/भवन यथा स्कूल या अन्य स्थानों का चयन करना होगा।
- ✓ प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग ब्रजगृह बनाना चाहिए ताकि एक पद का CU दूसरे पद के CU के साथ mixed न हो।
- ✓ मतगणना के लिए भी अलग-अलग पद के लिए अलग हॉल की व्यवस्था होनी चाहिए।
- ✓ यह ध्यान रखना है कि मतगणना समय से पूर्ण हो सके, ताकि उस CU के डाटा को विलोपित कर उस EVM को दूसरे प्रखण्ड में चुनाव हेतु भेजा जा सके।
- ✓ मतगणना प्रक्रिया के विषय में अलग से निर्देश निर्गत किया जायेगा।

21. मतगणना के पश्चात् EVM का अन्य प्रखण्ड में स्थानांतरण—

निर्धारित समय में मतगणना के समाप्ति के बाद CU से डाटा विलोपित कर EVM का स्थानान्तरण भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के आलोक में किया जाना है।

22. Next प्रखण्ड की व्यवस्था—

इस प्रखण्ड में भी EVM भंडारण की व्यवस्था होगी। अभ्यर्थिता वापसी की तिथि के बाद प्रपत्र-9 के अनुसार मुद्रित मतपत्र के साथ CU में Cand. Set करना है।

इस प्रकार Cand Set करने वाले प्रशिक्षित कर्मी की अधिक संख्या में आवश्यकता होगी।

23. अंतिम चरण के चुनाव के बाद जिला में EVM संग्रहित करना—

अंतिम चरण में M2 EVM का इस्तेमाल किए जाने के बाद भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए जिला स्तर पर EVM का भंडारण करना है।